



NHB (ND)/ HO/DOS/DAK/2023/00358 /2022 January 06, 2022

The Managing Director, Saral Home Finance Limited 117 South Extension, Plaza II, 209 Masjid Moth, New Delhi - 110049

Sir,

Levy of Penalty - Delayed submission of Schedule V return for the position as on 31-10-2022

The various returns required to be submitted by the HFCs are governed by the Master Circular on Returns for HFCs issued by the Bank on December 31, 2021. As per the master Directions issued by RBI, HFCs should comply with any reporting requirements prescribed by the NHB from time to time . HFC should submit the return on or before the due date as mentioned in the Supervisory Circular No. 7.

- 2. In this regard, your attention is invited to Chapter III Para E of NHB(ND)/DOS/Sup. Circular No.7/2021-22 dated December 31, 2021 wherein inter-alia, it is mentioned that the Schedule V Monthly Return with reference date of end of every month should be submitted by 10th of the next month.
- 3. It has been observed that the company has submitted the schedule V return for the position as on 31-10-2022 with a delay.
- 4. In this regard a Show-cause Notice was issued to the company vide our letter No. NHB(ND)/HO/DOS/DAK/2022/00080/2022 dated November 28, 2022 for non-submission of return on or before the due date as mentioned in the Supervisory Circular No. 7.
- 5. The Company has submitted its reply vide email dated 06-12-2022 by citing various reasons for delay. However it is observed that the company was issued a show cause notice vide letter no NHB(ND)/DOS/DMC/OUT06458/2022 dated September 15, 2022 for delayed submission of Schedule V return for the position as on 31-08-2022 and later the same was condoned with a line of caution based on the assurance of the company of submitting the returns within the prescribed timeline. However, it is observed that the company has been delinquent in submission of returns on ORMIS Portal.
- 6. In view of the above it is observed that company had violated the direction issued by NHB.

भारत सरकार के अंतर्गत सांविधिक निकाय कोर 5-ए, तीसरे से पांचवां तल, इंडिया हैबिटेट सैंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

दूरभाषः 011-3918 7000 फैक्सः 011-2464 9030 वेबसाईटः www.nhb.org.in ई.मेलः ho@nhb.org.in Statutory Body under the Government of India

Core 5-A, 3rd to 5th Floor, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110003

Phone: 011-3918 7000 Fax: 011-2464 9030 Website: www.nhb.org.in E-mail: ho@nhb.org.in

रा.आ.बैंक (निद)/एचओ/डीओएस/डाक/2023/00358/2022 06 जनवरी, 2022

प्रबंध निदेशक, सरल होम फाइनेंस लिमिटेड 117 साउथ एक्सटेंशन, प्लाजा II, 209 मस्जिद मोठ, नई दिल्ली - 110049

महोदय,

अर्थदंड लगाना – यथा 31-10-2022 की स्थिति के लिए अनुसूची V विवरणी प्रस्तुत करने में विलंब

आवास वित्त कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक विभिन्न विवरणियां दिनांक 31 दिसंबर, 2021 को बैंक द्वारा निर्गत आ.वि.कं. के विवरणी पर मास्टर परिपत्र द्वारा नियंत्रित होती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मास्टर निर्देशों के अनुसार, आवास वित्त कंपनियों को समय-समय पर रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का अनुपालन करना चाहिए। आवास वित्त कंपनी को पर्यवेक्षी परिपत्र सं. 7 में उल्लिखित नियत तिथि को या उससे पहले विवरणी प्रस्तुत करनी चाहिए।

- 2. इस संबंध में, आपका ध्यान रा.आ.बैंक (नदि)/डीओएस/सुपर परिपत्र संख्या 7/2021-22 दिनांकित 31 दिसंबर, 2021 के अध्याय III अनुच्छेद ई की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया है कि अनुसूची V मासिक विवरणी प्रत्येक माह के अंत की संदर्भ तिथि के साथ अगले माह की 10 तारीख तक प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- 3. यह पाया गया है कि कंपनी ने यथा 31-10-2022 की स्थिति हेतु विलंब से अनुसूची V विवरणी प्रस्तुत की है।
 4. इस संबंध में पर्यवेक्षी परिपत्र सं. 7 में उल्लिखित देय तिथि पर या उससे पहले विवरणी प्रस्तुत न करने हेतु दिनांक 28 नवंबर, 2022 के हमारे पत्र संख्या रा.आ.बैंक(निद)/एचओ/डीओएस/डाक/2022/00080/2022 के माध्यम से कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी गया था।
- 5. कंपनी ने विलंब के विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए अपना जवाब ईमेल दिनांकित 06-12-2022 के माध्यम से प्रस्तुत किया है। हालांकि ऐसा पाया गया है कि कंपनी को दिनांक 15 सितंबर, 2022 के पत्र संख्या रा.आ.बैंक(नदि)/डीओएस/डीएमसी/आउट06458/2022 के माध्यम से यथा 31-08-2022 की स्थिति हेतु अनुसूची V विवरणी जमा करने में विलंब के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और बाद में कंपनी के समयसीमा के भीतर विवरणी जमा करने के आश्वासन के जवाब के आधार पर सावधानी के साथ उक्त को माफ कर दिया गया था। हालांकि, यह पाया गया है कि कंपनी ने ओआरएमआईएस पोर्टल पर विवरणी जमा करने में चूक की है।
- उपरोक्त के मद्देनजर यह देखा गया है कि कंपनी ने रा.आ बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया था।
- 7. इसलिए, कंपनी को राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के 52क (1) (क) के प्रावधानों के तहत प्रयोग की गई शक्ति के संदर्भ में इस पत्र की प्राप्ति की तिथि से 14 दिनों के भीतर अनुबंध-I में संलग्न बैंक विवरण के अनुसार, ₹ 3,540/- (तीन हजार पांच सौ चालीस रुपये मात्र) अर्थात् ₹3,000 + जीएसटी @ 18% ₹540/- की कुल राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है।
- 8. कंपनी को कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में तुलन पत्र में 'नोट्स टू एकाउंट्स' में अर्थदंड का अलग से प्रकटीकरण करना चाहिए। कंपनी को यह भी सूचित किया जाता है कि वह इस मामले को अपने निदेशक मंडल को रिपोर्ट करे एवं उक्त की कार्यवृत्त की एक प्रति बैंक को सूचना हेतु भेजें।
- 9. कंपनी को रा.आ.बैंक द्वारा कंपनी पर लगाए गए अर्थदंड को अपनी वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित करना आवश्यक है।

भवदीय,

(रीजा के) उप महाप्रबंधक पर्यवेक्षण विभाग

संलग्न.: यथोपरि

अनुबंध — । हेतु कृपया अंग्रेजी विषय-वस्तु का संदर्भ लें।

- 7. The company, is therefore, directed to pay an aggregate amount of ₹ 3,540/- (Rupees Three Thousand Five hundred and Forty only), i.e. ₹3,000 + GST@18% ₹540/- as per the Bank details enclosed as Annexure-I, within 14 days of the date of receipt of this letter in terms of power exercised under provisions of 52A (1)(a) of The National Housing Bank Act, 1987.
- 8. The Company should separately disclose the penalty in 'Notes to Accounts' to the Balance Sheet in the Annual Report of the company. The company is also advised to report the matter to its Board of Directors and send a copy of Minutes of the same to the Bank for Information.
- 9. The Company is required to prominently display on its website penalty levied on the company by NHB.

Yours faithfully,

(Reeja K) Deputy General

Deputy General Manager Department of Supervision

Encl.: as above

Annexure-I

S.N.	Type	Particulars
1.	Beneficiary Name	National Housing Bank
2.	Beneficiary GSTN	07AABCN2600H1ZY
3.	Beneficiary Address	Core 5A, 4th Floor, India Habitat Centre, Lodhi Road,
		New Delhi 110 003
4.	Beneficiary Bank Name	State Bank of India
5.	Beneficiary Bank Branch	Pragati Vihar Delhi Branch, Ground Floor, Core-6,
	Address	Scope Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110003
6.	Type of Bank Account	Current Account
7.	Beneficiary Bank A/C No.	52142903844
8.	IFCS code of Bank branch	SBIN0020511
9.	MICR No.	110002658

